

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक ज्ञालावाड

Email id-dcoele.jwr447@gmail.com

Fax/phone-07432-232283

कमांक-जिशाअ/प्राशि/ज्ञा/मान्यता/12/356

दिनांक- 31-8-2011

प्रबन्धक-सि.गुप्ता स्कूल-रमिका एवरीलेन्डा

मा.वि. इतालरापाएन

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा -18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उप नियम 4 के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र ।

1 APR 2010 31 MAR 2013

अपके दिनांक 31-7-2011 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै 12/356/234/12 को दिनांक [redacted] से दिनांक [redacted] तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा - 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधकों का पालना करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलामप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा -12 (2) के उपाबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा, ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-
 - (a) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में प्रवेश में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काषित नहीं किया जायेगा।
 - (b) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (c) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (d) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम -23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण -पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (e) अधिनियम के उपाबंधों के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाएगा।
 - (f) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा - 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जानी है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम आर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (g) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
 - (h) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा -19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
12. विद्यालय भवनों/अन्य संरचनाओं या कीडारथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1968 के अधीन पजीकृत किसी सोसायटी द्वारा/ राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखों की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) ज्ञालावाड को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड कमांक [redacted] है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें। [redacted] 2-6-2010
17. विद्यालय, ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित है और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

RT-E/234/356

प्रधानाचार्या